

क्रमांक	प्रश्न	जानकारी
1	SAARA क्या है	स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) इस पूर्ण नाम है, जो कि एक मोबाइल एप एवं वेब पोर्टल है।
2	डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण क्या है।	डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत खेत पर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से फसल की जानकारी भरने के उपरांत फसल को फोटो खींचकर जानकारी को सुरक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का मूल भाग है।
3	क्या फसल की जानकारी को खेत से अन्यत्र उपस्थित रहकर भरा जा सकता है	नहीं, खेत पर उपस्थित होकर जानकारी भरना अनिवार्य है।
4	SAARA मोबाइल एप्लिकेशन कैसे डाउनलोड करें।	गुगल प्ले स्टोर पर जाकर SAARA एप को सर्च कर मोबाइल एप को इंस्टॉल किया जा सकता है।
5	SAARA एप के माध्यम से क्या कार्यवाही की जा सकती है।	सारा एप के माध्यम से मुख्यतः डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य एवं अन्य विभागीय कार्य संपादित किए जा सकते हैं, जो संबंधित यूजर को दिए गए हों।
6	SAARA एप पर अपना खाता कैसे बनायें।	सारा एप पर खाता बनाए जाने के लिए https://mpbhulekh.gov.in/ पोर्टल पर पंजीकृत करना होना, इस पंजीयन के बाद ग्राम आवंटन का कार्य विभागीय यूजर द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार पंजीयन में बनाए गए आईडी / खाता सारा एप में मान रूप से उपलब्ध होगा।
7	SAARA एप पर ग्राम न दिखाई देने पर क्या करें।	सारा एप में ग्राम दिखाई न देने पर विभागीय यूजर संबंधित पटवारी/तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है।
8	SAARA एप के माध्यम से किस ग्राम का कार्य किया जा सकता है।	सारा एप के माध्यम से संबंधित यूजर को आवंटित ग्राम में ही कार्य किया जा सकता है।
9	SAARA एप का उपयोग कर किस प्रकार के सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है।	आवंटित ग्राम का डाटा डाउनलोड कर लंबित खसरो की जानकारी को देखा जा सकता है, जिसमें सर्वेक्षण कार्य किया जाना है एवं लंबित सूची में से सर्वे नंबर पर टैप कर जानकारी को भरा जा सकता है।
10	SAARA एप से जानकारी कैसे भरे करें।	फसल सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध ऑप्शन में जाकर ग्राम को क्लिक करने के उपरांत सर्वे नंबर का चयन सूची से किया जा सकता है। उसके बाद फसल को चुनकर सिचाई की स्थिति एवं रकवा की जानकारी भरी जाकर सुरक्षित किया जा सकता है।
11	SAARA एप से जानकारी कैसे अपलोड करें।	फसल सर्वेक्षण ऑप्शन में जाकर अपलोड करने हेतु बाकी टैब में जाकर जानकारी को अपलोड किया जा सकता है।
12	SAARA एप से फसल सर्वेक्षण का समय क्या है।	सारा एप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण हेतु दिनांक नियत है, परंतु फसल जानकारी एप के माध्यम से प्रातः 06 बजे से सायं 06 बजे भरी जा सकती है एवं अपलोड किसी भी समय किया जा सकता है।
13	SAARA एप में पार्सल जियो फेंस क्या होता है।	सारा एप में खेत में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पार्सल लेवल जियो फेंस का उपयोग सारा एप में किया गया है, जिसके माध्यम से खेत की सीमा में जाकर ही फसल को भरा जा सकता है।

14	SAARA एप में फसल का फोटो खींचना अनिवार्य है।	हाँ, प्रत्येक फसल का खेत पर जाकर फोटो खींचना अनिवार्य है।
15	SAARA एप में बिना इंटरनेट कार्य किया जा सकता है।	हाँ, केवल डाटा डाउनलोड एवं अपलोड करने हेतु इंटरनेट की आवश्यकता होगी, शेष कार्यवाही बिना इंटरनेट के एप के माध्यम से की जा सकती है।
16	फसल सर्वेक्षण के दौरान फसल का डाटा भरने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए।	सबसे पहले उस सर्वे नंबर पर पहुंचना होगा, एवं फसल का स्पष्ट फोटो खींचकर जानकारी को सुरक्षित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि मोबाईल एप से सही फसल का नाम, क्षेत्रफल एवं सिंचाई स्थिति स्पष्ट अद्यतन हो।
17	क्या सारा एप से अपलोड डाटा को डिलीट किया जा सकता है।	नहीं, डाटा को एक बार अपलोड करने बाद डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, इसलिए सावधानीपूर्वक डाटा को अद्यतन कर अपलोड किया जाना चाहिए।
18	सारा एप से संबंधी प्रशिक्षण सामग्री कहाँ से प्राप्त की जा सकती है।	सारा पोर्टल SARA.mp.gov.in एवं सारा मोबाईल एप में प्रशिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराया गया है।
19	सारा एप के माध्यम से दर्ज फसल की जानकारी किसानों को कैसे प्राप्त होगी।	सारा एप के माध्यम से दर्ज अंतिम फसल की जानकारी भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध होगी, एवं उपार्जन आदि पोर्टल पर भी फसल की जानकारी कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
20	क्या एक ग्राम में एक से अधिक स्थानीय युवा पंजीकर करा सकते हैं।	हाँ, स्थानीय युवा हेतु अधिकतम 1000 सर्वे नंबर की सीमा है, अतः समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु एक से अधिक स्थानीय युवा द्वारा पंजीयन एक ग्राम में कराया जा सकता है।
21	फसल सर्वेक्षण की जानकारी कब तक पूर्ण करनी होती है।	प्रत्येक मौसम हेतु फसल सर्वेक्षण की दिनांक पूर्व से नियत होती है, इस नियत समय-सीमा के भीतर कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है।
22	सारा एप के माध्यम से क्रॉप सर्वे डाटा की शुद्धता कैसे देखी जाती है।	सारा एप के माध्यम से अपलोड किए गए डाटा को सैटेलाइट इमेज के माध्यम से प्राप्त संभावित फसल से जांचा जाता है एवं एप से खींचे गए फसल के फोटो की भी जांच कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। उक्त प्रक्रिया के पश्चात् शासकीय सेवकों द्वारा रेण्डम जांच की कार्यवाही भी पूर्ण की जाती है।
23	सारा एप के माध्यम से सर्वे नंबर की लोकेशन कैसे जानें।	सारा एप के माध्यम से ग्राम नक्शा के माध्यम से फसल सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें यूजर स्वयं की लोकेशन को पॉइण्ट के माध्यम से नक्शे पर देख सकता है एवं एप में गुगल मैप के माध्यम से खसरे तक पहुँचा जा सकता है।
24	सारा एप में लॉगिन हेतु उपयोग किए जाने वाले लॉगिन आईडी में मोबाईल नंबर किस प्रकार बदलें।	स्थानीय युवा द्वारा भूलेख पोर्टल के माध्यम से मोबाईल नंबर बदल जा सकता है, समान जानकारी पटवारी के अनुमोदन उपरांत अद्यतन होगी।
25	किसान किस प्रकार दर्ज फसल की जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं	प्ले स्टोर से एमपी किसान एप डाउनलोड कर जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है।

26	किसान द्वारा दर्ज फसल से असहमत होने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है	एमपी किसान एप के माध्यम से खसरे में दर्ज फसल की जानकारी का अवलोकन कर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, जिसका निराकरण संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।
27	स्थानीय युवा द्वारा कौन सा मोबाईल उपयोग किया जा सकता है।	स्थानीय युवा द्वारा Android 6+ वर्जन का मोबाईल उपयोग किया जा सकता है।
28	क्या किसान स्वयं भी फसल भर सकते हैं	हाँ, एमपी किसान एप के माध्यम से जानकारी किसान द्वारा भरी जा सकती है, जिसमें किसान को खेत पर जाकर फसल की जानकारी भरना एवं फोटो खींचना अनिवार्य है।
29	क्या लोकेशन की जानकारी हेतु इंटरनेट आवश्यक है	नहीं, मोबाईल एप में लोकेशन जीपीएस के माध्यम से प्राप्त की जाती है, यदि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो सटीक लोकेशन शीघ्र प्राप्त हो सकेगी।
30	स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण हेतु क्या राशि देय होगी	प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल हेतु राशि रुपये 08/- एवं प्रत्येक अतिरिक्त फसल हेतु राशि 02/- इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिक राशि रुपये 14/- प्रदान की जा सकती है।
31	स्थानीय युवा को किए गए कार्य का भुगतान कैसे प्राप्त होगा।	फसल सर्वेक्षण कार्यवाही पूर्ण होने पर आधार से लिंक खाते में भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
32	स्थानीय युवा द्वारा दर्ज फसल का सत्यापन किस प्रकार होगा।	नवीन तकनीक एवं पटवारी द्वारा फसल सत्यापन का कार्य किया जाएगा, यदि कोई जानकारी पटवारी द्वारा पुनः रिव्यू हेतु भेजी जाती है, जो स्थानीय युवा द्वारा पुनः जानकारी अद्यतन की जाएगी।
33	क्या प्रतिदिन कार्य करना अनिवार्य है	हाँ, नियत कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन जानकारी अद्यतन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
34	स्थानीय युवा हेतु अर्हता क्या है।	स्थानीय युवा /निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी न्यूनतम शर्त : एंड्रॉइड वर्जन 6+ वाला स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सर्वेयर आयु सीमा :18 से 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो स्वघोषणा के आधार पर।
35	क्या नियत फार्म के अतिरिक्त पंजीयन हेतु दस्तावेज अनिवार्य है	नहीं, स्वघोषणा के अतिरिक्त कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।
36	फसल सर्वेक्षण हेतु लक्ष्य की जानकारी कैसे प्राप्त होगी।	सारा एप के माध्यम से मोबाईल एप के प्रथम स्क्रीन के माध्यम से लक्षित सर्वे नंबर एवं लंबित कार्यवाही को देखा जा सकता है।
37	खसरे पर सही स्थान पर हैं या नहीं यह जानकारी कैसे प्राप्त होगी।	सारा एप में प्रत्येक सर्वे नंबर के साथ दूरी की जानकारी को देखा जा सकता कि संबंधित यूजर खसरे के कितनी दूरी पर उपलब्ध है।
38	क्या स्थानीय युवा द्वारा 02 मोबाईल का उपयोग किया जा सकता है	नहीं, एक स्थानीय युवा द्वारा केवल एक डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है।

39	प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाएगा।	संबंधित तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक वृत्त स्तर पर प्रशिक्षण जिलों में आयोजित किया जाएगा, एवं पटवारी से सतत् मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
40	सर्वे नंबर में फसल, बीज एवं सिंचाई स्थिति कैसे भरे	सर्वे नंबर में फसल, बीज एवं सिंचाई स्थिति की जानकारी मौके पर उपस्थित होकर भरी जा सकती है एवं आवश्यक जानकारी संबंधित किसान से प्राप्त की जा सकती है, परंतु गलत जानकारी न भरी जाये।
41	मोबाईल खराब होने पर क्या डाटा डिलीट होगा।	मोबाईल खराब होने पर अपलोड किया गया डाटा सुरक्षित रहेगा, जिसके ग्राम का डाटा पुनः डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
42	मोबाईल में लॉगआउट किए बिना एप हटाने पर लॉगिन कैसे करें।	संबंधित पटवारी को अवगत कराकर यूजर को लॉगआउट किया जा सकता है, तदुपरांत मोबाईल में पुनः लॉगिन किया जा सकता है।
43	यदि स्थानीय युवा द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी भरी जाती है, तो क्या होगा।	संबंधित पटवारी द्वारा जानकारी को पुनः रिव्यू हेतु स्थानीय युवा को भेजा जा सकता है, जिसके बाद स्थानीय युवा द्वारा जानकारी को भरा जा सकता है।
44	क्या सारा एप में हमेशा इंटरनेट की आवश्यकता होगी।	केवल डाटा अपलोड एवं डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी, शेष कार्यवाही बिना इंटरनेट के की जा सकती है।
45	क्या स्थानीय युवा द्वारा जानकारी अपलोड करने के उपरांत स्वयं अद्यतन किया जा सकता है	नहीं, अपलोड करने के उपरांत पटवारी द्वारा रिव्यू करने पर ही जानकारी को एडिट किया जा सकता है।
46	तकनीकी सहायता के लिए किससे संपर्क करना चाहिए।	181 पर कॉल कर जानकारी/समस्या/सुझाव प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित पटवारी से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। ईमेल mp-lrs@mp.gov.in पर ई-मेल भेजा जा सकता है। कार्यालयीन समय में गुगल मीट की लिंक पर जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।